बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

:: सं क ल्प ::

पटना–15, दिनांक–

श्री अविनाश कुमार (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 130/23, तत्कालीन व्यवस्थापक, बेतिया राज, बेतिया के विरूद्ध प्रतिपाल्य अधिकरण, बिहार के नियंत्रणाधीन व्यवस्थापक, बेतिया राज, बेतिया के रूप में राजस्व पर्षद के पूर्वानुमोदन के बिना अनुचित ढंग से बेतिया राज के कर्मी श्री सुरेश राउत को बेतिया राज कार्यालय, बेतिया में अपने पद से उच्चतर पद का वित्तीय एवं प्रशासनिक कार्य करने हेतु प्राधिकृत करने, बेतिया राज, बेतिया से संबंधित न्यायिक वादों में सरकार का पक्ष सही तरीके से माननीय न्यायालयों में नहीं रखने, न्यायिक वादों के निष्पादन में रूची नहीं लेने, बेतिया राज के प्रबंधन के संबंध में समुचित कार्रवाई नहीं करने, बेतिया राज के प्रबंधन हेतु नीति निर्धारण के फलस्वरूप बेतिया राज अंतर्गत स्थित भूमि का प्रबंधन, सर्वेक्षण, अतिक्रमण मुक्ति कार्य से संबंधित कार्य में रूची नहीं लेने, बिना सक्षम प्राधिकार के पूर्वानुमति के अनुपस्थित रहने, कार्यों में लापरवाही बरतने इत्यादि आरोपों के लिए राजस्व पर्षद, बिहार, पटना के पत्रांक 1225 दिनांक 30.08.2024 द्वारा गठित आरोप–पत्र (साक्ष्य सहित) उपलब्ध कराया गया।

श्री कुमार के उक्त कृत्य को बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली, 1976 के नियम–3(1) में निहित प्रावधानों के प्रतिकूल पाये जाने के आलोक में विभागीय संकल्प ज्ञापांक 15104 दिनांक 20.09.2024 द्वारा निलंबित किया गया।

राजस्व पर्षद, बिहार, पटना से श्री कुमार के विरूद्ध प्राप्त आरोप–पत्र के आलोक में विभागीय स्तर पर पुनर्गठित आरोप–पत्र पर अनुशासनिक प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त किया गया। अनुमोदित आरोप–पत्र में अंतर्विष्ट आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक 15148 दिनांक 23.09.2024 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की गयी। श्री कुमार के पत्र दिनांक 10.10.2024 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया।

श्री कुमार के विरूद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं इनके स्पष्टीकरण की अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा सम्यक् समीक्षा की गयी। समीक्षोपरान्त आरोपों की गंभीरता को देखते हुए इनके स्पष्टीकरण को अस्वीकृत किया गया तथा आरोप–पत्र में अंतर्विष्ट आरोपों की वृहत जाँच के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम–17 के संगत प्रावधानों के तहत विभागीय संकल्प ज्ञापांक 18436 दिनांक 19.11.2024 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया, जिसमें मुख्य जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी नियुक्त किया गया।

अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार से संबंधित मामले की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि श्री कुमार के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही जारी है एवं जाँच प्रतिवेदन सम्प्रति प्रतीक्षारत है। समीक्षोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री कुमार को निलंबन से मुक्त किये जाने का निर्णय लिया गया है। निलंबन मुक्ति उपरान्त श्री कुमार का पदस्थापन किसी संवेदनशील एवं महत्वपूर्ण कार्यालय/विभाग में नहीं किया जायेगा।

अतएव अनुशासनिक प्राधिकार के निर्णय के आलोक में श्री अविनाश कुमार (बि०प्र०से०), कोटि क्रमांक 130/23, तत्कालीन व्यवस्थापक, बेतिया राज, बेतिया सम्प्रति निलंबित को आदेश निर्गत की तिथि से निलंबन मुक्त किया जाता है। श्री कुमार के निलंबन अवधि के सेवा का निरूपण तथा वेतन–भत्ता की अनुमान्यता के संबंध में समीक्षोपरान्त निर्णय विभागीय कार्यवाही के अंतिम निष्पादन के बाद की जायेगी।

आदेश :– आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति सभी संबंधितों को जानकारी एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेज दी जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/–
(उमेश प्रसाद)
सरकार के अवर सचिव।
(कृ0पृ0उ0)

ज्ञापांक–2/आरोप–01–13/2024–सा0प्र0– 1998 **/पटना, दिनांक–** 28.1.26

स्पीड पोस्ट

प्रतिलिपि :– महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/अपर मुख्य सचिव–सह–जाँच आयुक्त, गृह विभाग, बिहार, पटना/आयुक्त, पटना प्रमंडल, पटना/अध्यक्ष–सह–सदस्य, राजस्व पर्षद, बिहार, पटना/श्री अविनाश कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 130/23, सम्प्रति निलंबित **मुख्यालय**–आयुक्त कार्यालय, पटना प्रमंडल, पटना/वरीय पदाधिकारी, प्रभारी प्रशाखा–12, 14, 29 एवं आई0टी0 मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री अविनाश कुमार (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 130/23 को निदेश दिया जाता है कि आदेश के आलोक में सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना में अपना योगदान समर्पित करेंगे।

28.1.26

सरकार के अवर सचिव।